ऑन लाईन नं.RCMS2023/104

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 43 / 2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सतविन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्द्र पुत्र बलवीर सिंह **–खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक–** **मै0** दुध विकता, 9 डी.डी. हाल वार्ड नम्बर 20, नजदीक तेग बहादुर गुरूद्वारा, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : **16.06.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः– आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री कंवरपाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.01.2023 को बाद दोपहर पूर्व 11.30 पी.एम. का मौके पर मस्जिद के पास, वार्ड नम्बर 23, पदमपुर पर पहुंचा। वहां वाहन मोटर साइकिल RJ13-ES-8252 पर मैसर्स सतविन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्द्र पुत्र बलवीर सिंह दुध विकता, 9 डी.डी. हाल वार्ड नम्बर 20, नजदीक तेग बहादुर गुरूद्वारा, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को अपना परिचय देकर **दुध** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वयं को वाहन का मालिक बताया तथा वाहन पर रखें एक प्लास्टिक के केन के अन्दर 15 लीटर **गाय का दूध** को आमजन के बेचने वास्ते होना बताया। **गाय का दूध** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **गाय का दूध** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए बरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे सतविन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्द्र पुत्र बलवीर सिंह एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक सतविन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्द्र पुत्र बलवीर सिंह को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **गाय का दूध** 1 किलोग्राम विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **गाय का दूध** का नगद भुगतान 80/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का दूध** 1 किलोग्राम को बराबर भागो में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। 4 बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1624** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1624** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सतविन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्द्र पुत्र बलवीर सिंह एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./54/Act/2023/50 Dated 27-01-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1624 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त सतविन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्द्र पुत्र बलवीर सिंह **मै0** दुध विकता, 9 डी.डी. हाल वार्ड नम्बर 20, नजदीक तेग बहादुर गुरूद्वारा, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **गाय का दूध** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 04.05.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी का व्यवसाय दुध विकेता का है। प्रार्थी गांवों से दूध लेकर मण्डी पदमपुर में 12–13 घरों में व एक–दो दुकानों पर दुध बेचान करता है। प्रार्थी जिन किसान से दुध लेकर आता है उनका सेम्पल भरता है और दुध की क्वालिटी की जांच करता है। प्रार्थी दिनांक 13.01.2023 को प्रार्थी के साथ एक दो नये किसान जुडे थे जिन्होने अपना दुध मुझें बेचान किया उस दिन मै जल्दी में आने के कारण तथा जो किसान जुडें थे उन पर विश्वास होने के कारण मेरे द्वारा उनके दुध का सेम्पल नहीं लिया गया और ना ही जांच की गई है। उक्त दिनांक 13.01.2023 को मण्डी पदमपुर में मस्जिद के पास फूड इन्सपेक्टर के द्वारा दुध का सेम्पल लिया गया जिसमें मेरे पास जो दुध था उससे सेम्पल लिया गया, जिसके सम्बन्ध में मुझ विभाग द्वारा मोबाईल से सूचित किया कि आपके दुध में 1 पुवाईन्ट का डिफरेन्स होना पाया गया है जिसके कारण मुझे विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है। उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विरूद्व चल रहे प्रकरण का निस्तारण करते हुऐ निरस्त किया जावें तथा मेरे द्वारा आगे से इस प्रकार की गलती नहीं की जावेगी। दुध का सेम्पल लेकर व जांच कर ही बाजार में सप्लाई किया जावेगा।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का दूध** का सैम्पल **K-1624** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./54/Act/2023/50 Dated 27-01-2023 द्वारा **Sub-standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी का व्यवसाय दुध विकेता का है। प्रार्थी गांवों से दूध लेकर मण्डी पदमपुर में 12–13 घरों में व एक–दो दुकानों पर दुध बेचान करता है। प्रार्थी जिन किसान से दुध लेकर आता है उनका सेम्पल भरता है और दुध की क्वालिटी की जांच करता है। प्रार्थी दिनांक 13.01.2023 को प्रार्थी के साथ एक दो नये किसान जुडे थे जिन्होने अपना दुध मुझें बेचान किया उस दिन मै जल्दी में आने के कारण तथा जो किसान जुडें थे उन पर विश्वास होने के कारण मेरे द्वारा उनके दुध का सेम्पल नही लिया गया और ना ही जांच की गई है। उक्त दिनाक 13.01.2023 को मण्डी पदमपुर में मस्जिद के पास फूड इन्सपेक्टर के द्वारा दुध का सेम्पल लिया गया जिसमें मेरे पास जो दुध था उससे सेम्पल लिया गया, जिसके सम्बन्ध में मुझ विभाग द्वारा मोबाईल से सूचित किया कि आपके दुध में 1 पुवाईन्ट का डिफरेन्स होना पाया गया है जिसके कारण मुझे विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है। उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विरूद्व चल रहे प्रकरण का निस्तारण करते हुऐ निरस्त किया जावें तथा मेरे द्वारा आगे से इस प्रकार की गलती नहीं की जावेगी। दुध का सेम्पल लेकर व जांच कर ही बाजार में सप्लाई किया जावेगा।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Cow Milk" bearing Code No and Sr. No. K-1624, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, Act-2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त सतविन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्द्र पुत्र बलवीर सिंह को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त सतविन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्द्र पुत्र बलवीर सिंह को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 2,000—00 (अखरे रूपये दो हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में सतविन्द्र सिंह उर्फ सुखविन्द्र पुत्र बलवीर सिंह खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थो से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

(डा. हरीतिमा)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।